

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

मंगलवार, 26 मई, 1998/ज्येष्ठ 05, 1920 ॥ शक ॥

संख्या-396

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि सदन ने अपनी दिनांक 2.1.1998 को सम्पन्न बैठक में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित किया था :-

"अध्यक्ष महोदय एक पांच सदस्यों की कमेटी मनोनीत करेगी जो गांव सभा या सरकारी जमीन पर 31.12.1997 तक कब्जों के बारे में तथा जिन व्यक्तियों ने उसे बेचा या खरीदा है या अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश दिया है, उसकी जांच करेगी। इस संबंध में सदस्यों से इस शर्त के साथ शिकायतें आमंत्रित की जाएं कि जो सदस्य शिकायत करेगा, यदि उसकी शिकायत असत्य पाई गई तो वह इस सदन से इस्तीफा देगा।"

माननीय सदस्यों से एक बार पुनः अनुरोध है कि यदि उनके पास कोई जानकारी/ शिकायत हो तो कृपया उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस सचिवालय को 10 दिन के अंदर भेजने का कष्ट करें ताकि उसे समिति के समक्ष उसके विचार हेतु रखा जा सके।

पी.एन.गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Assembly and other matters)
Tuesday, May 26, 1998/Jaisth 5, 1920(Saka)

No. 396.

As the Hon'ble Member are aware, at the sitting of the House held on 2nd January, 1998, the House and adopted for following motion moved by the Hon'ble Chief Minister:-

"That a Committee consisting of 5 members be nominated by the Speaker to inquire into the encroachment or Sale or Purchase by persons of Government or Gaon Sabha land upto 31.12.1997 and orders issued by the officials in this regard. The complaint in this regard may be invited from members with the condition that if the complaint is found untrue the member concerned will have to resign from the membership of the House.

Hon'ble Members are requested once again to send the requisite information/complaints if any, alongwith necessary documents to this Secretariat within ten days positively so that the same could be placed before the Committee for its consideration.

P.N. GUPTA
SECRETARY